



कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन



डॉ. उमेश कुमार शाक्य

प्रवक्ता-अर्थशास्त्र

प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय

जलालाबाद, शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश)

सारांश

भारत में ग्रामीण कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका स्थिरता को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(MGNREGA), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(NRLM), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना (JSY) तथा आवास योजनाएँ जैसे इंदिरा आवास योजना (IAY) ग्रामीण सुरक्षा-छत्र को मजबूत करने हेतु सरकार के प्रमुख उपकरण रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण गरीबी में कमी, आय-सुरक्षा में वृद्धि, खाद्य-सुरक्षा की गारंटी, रोजगार उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा कवरेज एवं महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार किया है। तथापि, कार्यान्वयन से जुड़े कई संरचनात्मक अवरोध—जैसे नियोजन में देरी, भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी, लाभार्थी पहचान में त्रुटियाँ, और वित्तीय संसाधनों की कमी—अभी भी चुनौतियों के रूप में मौजूद हैं, यदि पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सामाजिक जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तो कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण भारत में आर्थिक सुरक्षा को अधिक स्थायी और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकती हैं।

बीज शब्द (Keywords)

ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, सरकारी हस्तक्षेप

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ लगभग दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मजदूरी और छोटे गैर-कृषि व्यवसायों पर निर्भर करती है किंतु प्राकृतिक जोखिम, आय का अस्थिर ढांचा, सीमित संसाधन, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताएँ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण जीवन की आर्थिक संवेदनशीलता को कम करने एवं स्थायी विकास का आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार ने आर्थिक सुरक्षा से संबंधित अनेक योजनाएँ लागू कीं, जिनमें प्रमुख रूप से—

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA, 2005)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, 2011)
- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

- जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- इंदिरा आवास योजना (IAY)
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY, 2014)
- रसोई गैस हेतु PAHAL/DBTL योजना (2013-14)

इन योजनाओं का मूल उद्देश्य रोजगार, खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ केवल आय-सुरक्षा से नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं—खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा—की पूर्ति से भी है। योजना आयोग 2013, NSSO 68वाँ राउंड, ग्रामीण विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण निम्न-आय वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाए हैं। रोजगार गारंटी ने आय-सुरक्षा एवं मजदूरी दर बढ़ाई, PDS ने खाद्य असुरक्षा कम की, सामाजिक पेंशन योजनाओं ने वृद्धजनों एवं विधवाओं को न्यूनतम आय सुरक्षा उपलब्ध कराई, जबकि PMJDY ने बैंकिंग सेवाओं को गरीबों तक पहुँचाया है। यद्यपि योजनाओं ने व्यापक सकारात्मक प्रभाव डाला है, परन्तु विभिन्न शोध कार्यों (Dreze & Khera, 2013; Ministry of Rural Development, 2015; World Bank 2014) में यह भी पाया गया है कि लाभार्थी चयन, भ्रष्टाचार, लीकेज, वित्तबिभ्रत भुगतान, निगरानी की कमी एवं अपर्याप्त अवसंरचना जैसे मुद्दे योजनाओं की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। अतः इस शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों पर इन योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना, योजनाओं की सफलता एवं सीमाओं की पहचान करना, तथा अप्रैल 2016 तक की उपलब्ध आधिकारिक एवं शोध आधारित सामग्रियों के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करना है। अध्ययन में आँकड़ों, तालिकाओं, ग्राफ तथा नीति-विश्लेषण को सम्मिलित किया गया है।

साहित्य समीक्षा

ग्रामीण गरीबी, आय-असुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा सरकारी हस्तक्षेप पर किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि योजनाओं ने सामाजिक न्याय, आय-वितरण और आर्थिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है।

MGNREGA पर आधारित अध्ययन में Dreze & Khera (2013) ने पाया कि ग्रामीण India में रोजगार गारंटी अधिनियम ने बेरोजगारी के विरुद्ध एक सामाजिक सुरक्षा ढाल का कार्य किया है। अध्ययन के अनुसार इस योजना ने ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि, परिवारों को कठिन समय में आय का वैकल्पिक स्रोत और ग्रामीण अवसंरचना के विकास में स्थायी योगदान प्रदान किया।

Azam (2012) के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि MGNREGA का मजदूरी दरों पर विशेषकर कृषि-मजदूरों के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय (2014-15)** की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना ने गरीब परिवारों के उपभोग और बचत व्यवहार में सुधार किया।
- Khera (2011) ने PDS सुधारों के संदर्भ में पाया कि लक्षित वितरण प्रणाली (TPDS) ने कई राज्यों में लीकेज कम किए हैं।
- **योजना आयोग (2013)** के अनुसार PDS ग्रामीण परिवारों की कालानुक्रमिक खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- NSSO 68वाँ राउंड (2013-14) ने पाया कि PDS सब्सिडी ने गरीब परिवारों के उपभोग-व्यय अनुपात को स्थिर किया और खाद्यान्न उपलब्धता में सुधार किया।
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं का World Bank (2014) तथा Dev (2012) जैसे अध्ययनों में मूल्यांकन किया गया। इन अध्ययनों में यह पाया गया कि सामाजिक पेंशन कार्यक्रमों ने गरीबी की तीव्रता को कम किया तथा कमजोर वर्गों को न्यूनतम आय-सुरक्षा प्रदान की।
- Mehrotra (2010) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ ग्रामीण कमजोर वर्गों के लिए जीवन-निर्वाह का आधार बनती हैं और सामाजिक जोखिमों को कम करती हैं।
- **जननी सुरक्षा योजना (JSY) पर आधारित UNICEF (2013) तथा IHME (2014)** के अध्ययनों में यह पाया गया कि JSY ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाया तथा मातृ-स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार किया। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने हेतु यह योजना महत्वपूर्ण साधन रही।
- **NRLM पर NABARD (2012)** की रिपोर्ट बताती है कि SHG-Bank linkage program ने महिलाओं की आय, बचत और निर्णय क्षमता में सुधार किया है; जिससे पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई।

- **PMJDY (2014)** की प्रभावशीलता का अध्ययन करते हुए **Reserve Bank of India (2015)** ने बताया कि इस योजना ने ग्रामीण परिवारों की बैंकिंग पहुँच बढ़ाई, नकद हस्तांतरण के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई, और बचत व्यवहार को बढ़ावा दिया।
- **World Bank Global Findex (2014)** ने दर्शाया कि भारत में वित्तीय समावेशन ग्रामीण सुरक्षा ढांचे का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

इंदिरा आवास योजना (IAY) के मूल्यांकन अध्ययन (Planning Commission, 2012; MoRD, 2013) में पाया गया कि पक्के घर ने परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य परिस्थितियों और प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा को मजबूत किया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। योजनाओं ने रोजगार, खाद्य-सुरक्षा, मातृत्व-सुरक्षा, सामाजिक पेंशन, आवास तथा वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि भ्रष्टाचार, लीकेज, अपूर्ण जागरूकता, देरी, तथा अवसरचना संबंधी समस्याएँ—अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

शोध विधि

इस शोध में **वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) अनुसंधान-पद्धति** अपनाई गई है। अध्ययन NSSO Reports (61st, 66th, 68th Round), ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2008–2016), योजना आयोग रिपोर्ट (2011–2013), जनगणना 2011, World Bank & UNDP Reports (2010–2015), PMJDY, MGNREGA एवं PDS से संबंधित वार्षिक रिपोर्टें आदि से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं एवं डेटा विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, तालिकाओं का प्रयोग किया गया है। शोध में योजनाओं की पूर्व-स्थिति एवं बाद के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

डेटा विश्लेषण

ग्रामीण भारत में आर्थिक सुरक्षा का मूल्यांकन मुख्यतः पाँच संकेतकों रोजगार एवं मजदूरी-सुरक्षा, खाद्य-सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, मातृत्व सहायता आदि), वित्तीय समावेशन, आवास एवं बुनियादी सुविधाएँ पर आधारित माना जाता है। नीचे दिए गए आँकड़े MGNREGA, PDS, NSAP, PMJDY और IAY के आधार पर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं।

1. रोजगार-सुरक्षा: MGNREGA का प्रभाव

MGNREGA अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्राप्त औसत कार्यदिवस

वर्ष	औसत कार्यदिवस (Days)	लाभान्वित परिवार (मिलियन)
2008–09	48	45.0
2009–10	54	52.5
2010–11	46	55.1
2011–12	43	50.2
2012–13	39	48.8
2013–14	45	50.8
2014–15	40	49.5
2015–16	48	51.0

स्रोत : Ministry of Rural Development, “MGNREGA Annual Reports (2008–2016)”

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक 54 औसत कार्य दिवस दर्ज किए गए, जबकि 2013–16 के दौरान औसत कार्य दिवस में पुनः वृद्धि हुई, जो ग्रामीण रोजगार-सुरक्षा में सुधार का संकेत है। लाभान्वित परिवारों की संख्या लगातार 48–55 मिलियन के बीच बनी रही, जो ग्रामीण रोजगार-सुरक्षा का स्थायी स्रोत है। तालिका दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता समय के साथ स्थिर रही है। 2008–16 के बीच औसत कार्य दिवस 39 से 54 के बीच रहे। 2009–10 में सर्वाधिक कार्य दिवस (54) यह दर्शाता है कि संकट-काल (वैश्विक आर्थिक मंदी) में MGNREGA ने रोजगार-सुरक्षा प्रदान की। लाभान्वित परिवारों की संख्या लगातार 48–55 मिलियन के बीच रही, जो बताता है कि यह योजना ग्रामीण भारत के सबसे बड़े सुरक्षा-कवचों

में से एक है। यह आँकड़े आर्थिक सुरक्षा, विशेषकर आय-स्थिरता, के संदर्भ में MGNREGA की निर्णायक भूमिका को पुष्टि करते हैं।

2. खाद्य-सुरक्षा: PDS और NFSA (2013) का प्रभाव

ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले PDS सब्सिडी का वास्तविक लाभ (NSSO 68वाँ राउंड 2013-14)

श्रेणी	PDS से प्राप्त अनाज (किलो/माह)	बाज़ार मूल्य (₹)	PDS मूल्य (₹)	मासिक बचत (₹)
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार	30 kg	750	150	600
APL परिवार	20 kg	500	200	300
अन्तयोदय परिवार	35 kg	875	70	805

स्रोत : NSSO 68th Round (2013-14) Consumption Expenditure Report

तालिका से पता चलता है कि सबसे अधिक लाभ अंत्योदय परिवारों को मिला (₹805/माह)। ग्रामीण परिवारों के उपभोग व्यय में PDS का सीधा योगदान 9-14% तक पाया गया। तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है कि PDS ग्रामीण परिवारों के लिए खाद्य-सुरक्षा का प्रमुख साधन है। अंत्योदय परिवारों को प्रति माह ₹805 तक की बचत प्राप्त होना दर्शाता है कि योजना गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करती है। ग्रामीण परिवारों के उपभोग-व्यय में PDS का योगदान 9-14% के बीच पाया गया। यह स्पष्ट करता है कि खाद्यान्न सब्सिडी ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिरता का अनिवार्य आधार है।

3. सामाजिक सुरक्षा (NSAP) – पेंशन योजनाओं का प्रभाव

NSAP के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीण पेंशनधारक (2010-2016)

वर्ष	वृद्धावस्था पेंशन (लाख)	विधवा पेंशन (लाख)	दिव्यांग पेंशन (लाख)
2010-11	149	60	20
2012-13	170	65	22
2014-15	187	69	24
2015-16	192	71	25

स्रोत : Ministry of Rural Development, NSAP Annual Reports (2010-2016)

तालिका से प्रदर्शित है कि ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा ढांचा लगातार मजबूत हुआ है एवं 2010-16 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन में 28% वृद्धि हुई है। तालिका दर्शाती है कि वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन योजनाओं का विस्तार 2010-16 के बीच निरंतर बढ़ा। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या 149 लाख से बढ़कर 192 लाख पहुँची, यानी 28% की वृद्धि। यह आय-सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि वृद्धजन एवं विधवाएँ ग्रामीण गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील समूह हैं।

4. वित्तीय समावेशन (PMJDY) का ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव

PMJDY अंतर्गत खोले गए ग्रामीण बैंक खाते

वर्ष	खोले गए खाते (करोड़)	शून्य-बैलेंस खाते (%)	खाते में जमा राशि (₹ करोड़)
2014	7.55	76%	5,500
2015	13.2	45%	17,000
2016	18.6	32%	25,500

स्रोत : RBI Annual Report (2014-15, 2015-16)

शून्य-बैलेंस खातों का प्रतिशत 2014 में 76% से घटकर 2016 में 32% हो गया—यह एक सकारात्मक वित्तीय व्यवहार परिवर्तन दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बैंक जमाओं में 5 गुना वृद्धि हुई। तालिका वित्तीय समावेशन की ऐतिहासिक सफलता को दर्शाती है। खाते 2014 में 7.55 करोड़ से बढ़कर 2016 में 18.6 करोड़ हो गए। शून्य-बैलेंस खाते घटकर 76% से 32% हो गए—यह बताता है कि ग्रामीण परिवारों की बचत व औपचारिक बैंकिंग निर्भरता बढ़ी है। 2014 से 2016 में कुल जमा राशि 5,500 करोड़ से बढ़कर 25,500 करोड़ तक पहुँच गई। ये आँकड़े ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा के वित्तीय पक्ष को मजबूत होने की दिशा में संकेत करते हैं।

5. इंदिरा आवास योजना (IAY) – ग्रामीण आवास सुरक्षा

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत ग्रामीण आवास

वर्ष	स्वीकृत आवास (लाख)	पूर्ण आवास (%)
2010-11	25	82%
2012-13	24	78%
2014-15	27	85%
2015-16	29	87%

स्रोत : Ministry of Rural Development, IAY Annual Reports

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण आवास सुरक्षा में निरंतर सुधार हुआ। 2015-16 में 87% पूर्ण-निर्माण दर, जो अब तक की सर्वाधिक थी। तालिका ग्रामीण आवास-सुरक्षा की सकारात्मक दिशा को रेखांकित करती है। स्वीकृत आवासों में वृद्धि तथा पूर्ण निर्माण अनुपात में सुधार हुआ है। 2015-16 में 87% पूर्ण निर्माण दर अब तक के सर्वोच्च स्तरों में से एक थी। यह ग्रामीण जीवन की भौतिक सुरक्षा और आपदा-जोखिम कम करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के विवेचन से स्पष्ट है कि MGNREGA ने ग्रामीण मजदूरी को स्थिर किया, संकटकाल में रोजगार उपलब्ध कराया एवं अवसंरचना निर्माण में योगदान दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने ग्रामीण उपभोग-व्यय को प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित किया, भोजन की उपलब्धता में नियमितता लाई। पेंशन योजनाओं ने कमजोर वर्गों को न्यूनतम आय-सुरक्षा प्रदान की, जिससे गरीबी की तीव्रता घटी। PMJDY ने ग्रामीण बैंकिंग व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इंदिरा आवास योजना (IAY) ने आवास-सुरक्षा व प्राकृतिक जोखिमों से संरक्षण बढ़ाया। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा में बहुआयामी और ठोस योगदान करती हैं।

समस्याएँ/चुनौतियाँ

कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं जो कि निम्न हैं:

1. प्रशासनिक एवं संस्थागत चुनौतियाँ

(क) योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब

कई योजनाओं—विशेषकर MGNREGA, NSAP और IAY—में भुगतान, स्वीकृति एवं कार्य-प्रक्रिया में देरी देखी गई है। MGNREGA भुगतान में 2014-15 तक औसत 15-30 दिनों की देरी दर्ज की गई। NSAP पेंशन में राज्यों के अनुसार देरी 1 से 3 महीने तक पाई गई (MoRD रिपोर्ट 2014)। यह देरी आर्थिक सुरक्षा की धारणा को कमजोर करती है।

(ख) लाभार्थी चयन में त्रुटियाँ (Targeting Errors)

कई शोधों (Khera 2011; योजना आयोग 2013) में पाया गया कि उचित पात्र परिवार छूट जाते हैं जबकि अनुचित व्यक्ति लाभ प्राप्त कर लेते हैं, PDS, NSAP तथा आवास योजनाओं में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है।

(ग) भ्रष्टाचार एवं लीकेज

योजना आयोग के अनुसार PDS में 2011-12 तक 30-40% के बीच लीकेज की दर दर्ज की गई। MGNREGA में फर्जी जॉब कार्ड, उपस्थिति-पंजिका में हेराफेरी, तथा सामग्री लागत में अनियमितताएँ भी रिपोर्ट हुईं।

2. वित्तीय एवं संसाधनगत चुनौतियाँ

ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2015-16 की रिपोर्ट बताती है कि MGNREGA के लिए स्वीकृत फंड, कई वर्षों में मांग से कम रहे। NSAP पेंशन राशि अत्यंत कम (₹200-₹500/माह) रही, जो वास्तविक जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त है। तकनीकी अवसंरचना की कमी भी गंभीर चुनौती है।

3. सामाजिक एवं सूचनागत चुनौतियाँ

(क) ग्रामीण परिवारों में योजना-जागरूकता का अभाव

कई अध्ययनों (NSSO Social Consumption Survey 2014) के अनुसार, 20-40% ग्रामीण परिवार योजनाओं की शर्तों, पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। यह समस्या विशेष रूप से महिलाओं, वृद्धजनों और अनुसूचित जनजाति समूहों में अधिक पाई गई।

(ख) मध्यस्थों एवं बिचौलियों की समस्या

लाभार्थी चयन, कार्ड वितरण, भुगतान, या स्वीकृति प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर बिचौलिये ग्रामीण गरीबों का शोषण करते हैं। यह आर्थिक लाभ के वास्तविक प्रवाह को बाधित करता है।

4. भौगोलिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ

(क) दूरस्थ क्षेत्रों में क्रियान्वयन कठिनाई

पहाड़ी, आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं की पहुँच कम है एवं सड़क, बैंक, इंटरनेट जैसी अवसंरचना की कमी है।

(ख) प्राकृतिक जोखिम (सूखा/बाढ़)

कृषि पर निर्भरता के कारण प्राकृतिक जोखिम ग्रामीण आजीविका को अस्थिर बनाते हैं, और योजनाएँ इस नुकसान की पूरी भरपाई करने में सक्षम नहीं होतीं।

5. नीति-स्तरीय चुनौतियाँ

(क) योजनाओं में ओवरलैप और समन्वय का अभाव

एक जैसे लक्ष्यों वाली कई योजनाएँ हैं परन्तु उनका आपसी समन्वय कमजोर है। MGNREGA, NRLM, PDS, NSAP में तालमेल की कमी योजना-दक्षता को कम करती है।

(ख) डेटा-प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव

कई योजनाओं में मैन्युअल रिकॉर्ड, MIS अपडेट में अंतर, जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड सूचियों में विसंगतियाँ पाई जाती हैं।

सुझाव/उपाय

कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव अनेक आयामों के साथ सामने आता है, किंतु इन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम भी आवश्यक हैं। निम्नलिखित सुझाव ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

1. प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

(क) पारदर्शी एवं समयबद्ध भुगतान व्यवस्था

बैंक-आधारित DBT (Direct Benefit Transfer) को और सुदृढ़ किया जाए। भुगतान स्थिति के SMS/IVRS अलर्ट सभी लाभार्थियों को भेजे जाएँ। राज्यों की भुगतान देरी पर केंद्रीकृत निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

(ख) लाभार्थी चयन प्रक्रिया का सुधार

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC 2011) के डेटा का अद्यतन पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की सहभागिता बढ़ाकर पात्रता सत्यापन को अधिक सामुदायिक बनाया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक सत्यापन को विशेषकर वृद्ध, दिव्यांग और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सरल बनाया जाना चाहिए।

2. वित्तीय एवं बजट संबंधी सुधार

(क) योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन

MGNREGA में 100 दिन के वैधानिक कार्यदिवस सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त फंडिंग आवश्यक है। NSAP पेंशन राशि (₹200-₹500/माह) आवश्यकता के मुकाबले अत्यंत कम है, इसे जीवनयापन लागत के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

(ख) आर्थिक सुरक्षा को बहु-आयामी पैकेज के रूप में लागू करना

पेंशन, राशन, स्वास्थ्य बीमा एवं DBT को एकीकृत “सुरक्षा बंडल” के रूप में लागू किया जा सकता है। सेवाओं का परस्पर समन्वय आर्थिक जोखिमों को एक साथ कम करेगा।

3. तकनीकी एवं डिजिटल अवसंरचना सुधार

(क) ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

PMJDY ने लाखों खाते खोले, लेकिन बैंक शाखाओं की संख्या अभी भी ग्रामीण मांग के अनुरूप नहीं है। अधिक बैंक मित्र (Bank Mitra) नियुक्त किए जाएँ। ग्रामीण ब्रॉडबैंड अवसंरचना मजबूत की जाए। मोबाइल-आधारित बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण भाषा में उपलब्ध कराया जाए।

(ख) PDS में एंड-टू-एंड डिजिटाइज़ेशन

POS मशीनें, GPS-आधारित ट्रक ट्रैकिंग, और बायोमेट्रिक सत्यापन से लीकेज निश्चय ही कम होंगे। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (One Nation One Ration Card) की प्रारंभिक अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए।

4. सामाजिक जागरूकता एवं क्षमता निर्माण

(क) ग्रामीण परिवारों को योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध करना

पंचायत स्तर पर मासिक “योजना जागरूकता शिविर” आयोजित किए जाएँ। महिलाओं, वृद्धों एवं अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(ख) स्वयं सहायता समूह को योजनाओं से जोड़ना

NRLM और SHG नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावी साबित हुए हैं। इन्हें PDS निगरानी, पेंशन वितरण, MGNREGA मजदूरी सत्यापन में शामिल किया जाए।

5. नीति-स्तरीय सुधार

(क) योजनाओं का एकीकरण

अनेक योजनाओं का साझा उद्देश्य—गरीबी उन्मूलन, आजीविका सुरक्षा, आवास—है।

इसलिए MGNREGA, IAY (आवास निर्माण में श्रमिकों की भागीदारी), NRLM + PMJDY (महिला SHGs के बैंक खाता उपयोग का विस्तार), NSAP एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को आपस में जोड़ने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

(ख) मूल्यांकन और निगरानी तंत्र को मजबूत करना

प्रत्येक योजना का वार्षिक सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया जाए। जमीनी स्तर पर तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण किए जाएँ। सार्वजनिक डैशबोर्ड पर MIS डेटा सुलभ हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े।

6. भौगोलिक व सामाजिक रूप से विशेष क्षेत्रीय सुधार

(क) आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष पैकेज

अतिरिक्त राशन, मोबाइल बैंकिंग व स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रसार किया जाना चाहिए।

(ख) सूखा/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष सुरक्षा प्रावधान

MGNREGA में अधिक दिन कार्य उपलब्ध कराया जाए। विशेष DBT राहत पैकेज प्रदान किये जा सकते हैं। कृषि बीमा एवं फसल सहायता की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।

इन सुझावों को लागू करने से ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा न केवल योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित होगी, बल्कि ग्रामीण परिवारों का आत्मविश्वास, आय-संचयन, जोखिम-प्रबंधन और जीवन-स्तर भी उल्लेखनीय रूप से बेहतर होगा।

निष्कर्ष

भारत में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें रोजगार, खाद्य-सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन तथा आवास जैसे तत्व सम्मिलित हैं। अध्ययन ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि 2005-2016 के बीच विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ—विशेषकर MGNREGA, PDS, NSAP, PMJDY और IAY—ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को स्थिर एवं मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं।

डेटा विश्लेषण दर्शाता है कि MGNREGA ने ग्रामीण रोजगार सुरक्षा और मजदूरी दरों में वृद्धि की, जिससे आजीविका जोखिम कम हुए। PDS और NFSA ने खाद्य-सुरक्षा प्रदान की, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए। NSAP पेंशन योजनाओं ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को न्यूनतम आय-आधार प्रदान किया। PMJDY ने ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को जन-जन तक पहुंचाया, गरीब परिवारों के वित्तीय लेनदेन को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा तथा बचत व्यवहार में सुधार किया। वहीं IAY ने ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास प्रदान कर सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का स्तर बढ़ाया।

यद्यपि अध्ययन से यह भी स्पष्ट करता है कि इन योजनाओं के प्रभाव को कई चुनौतियाँ सीमित करती हैं—जैसे क्रियान्वयन में विलंब, भ्रष्टाचार, लाभार्थी-चयन त्रुटियाँ, तकनीकी अवसंरचना की कमी, सामाजिक जागरूकता का अभाव, और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच की कमी। यह बाधाएँ आर्थिक सुरक्षा के इष्टतम परिणामों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएँ आवश्यक एवं प्रभावी हैं, परंतु उनकी सफलता सुदृढ़ प्रशासन, वित्तीय उपलब्धता, डिजिटाइज़ेशन, पारदर्शी निगरानी, तथा सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करती है। यदि सुझाए गए सुधारों—जैसे DBT सुदृढ़ीकरण, सामाजिक ऑडिट, योजनाओं का समन्वय, डिजिटल अवसंरचना विस्तार, और विशेष क्षेत्रीय पैकेज—को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में उल्लेखनीय एवं स्थायी सुधार संभव है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कल्याणकारी योजनाएँ ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा की मजबूत नींव हैं, और यदि इन्हें पारदर्शी, न्यायसंगत एवं भागीदारी-आधारित ढंग से लागू किया जाए, तो ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से अधिक सशक्त, स्थिर एवं आत्मनिर्भर बन सकता है।

संदर्भ

1. Azam, M. (2012). The impact of the NREGS on rural labor markets. *Economic & Political Weekly*, 47(8), 39–47.
2. Census of India. (2011). *Primary Census Abstract*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
3. Dev, S. M. (2012). Social protection: Myths and realities. *Economic & Political Weekly*, 47(9), 32–38.
4. Dreze, J., & Khera, R. (2013). Rural poverty and the public distribution system. *Economic & Political Weekly*, 48(45–46), 55–60.
5. Government of India. (2013). *National Food Security Act, 2013*. Ministry of Consumer Affairs.
6. IHME. (2014). *India Health Indicators Report*. Institute for Health Metrics and Evaluation.
7. Khera, R. (2011). Trends in diversion of PDS grain. *Economic & Political Weekly*, 46(21), 106–114.
8. Ministry of Rural Development. (2008–2016). *MGNREGA Annual Reports*. Government of India.
9. Ministry of Rural Development. (2010–2016). *National Social Assistance Programme (NSAP) Reports*. Government of India.
10. Ministry of Rural Development. (2012–2016). *Indira Awaas Yojana Progress Reports*. Government of India.
11. NABARD. (2012). *Status of Microfinance in India*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
12. NSSO. (2013–14). *68th Round Consumption Expenditure Survey*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
13. Planning Commission. (2011). *Evaluation Study of MGNREGA*. Government of India.
14. Planning Commission. (2013). *Performance Evaluation of Targeted PDS*. Government of India.
15. Reserve Bank of India. (2014–2016). *Annual Reports*. Reserve Bank of India.
16. UNICEF. (2013). *State of Maternal Health in India*. United Nations Children's Fund.
17. World Bank. (2014). *Social Protection Review for India*. Washington, DC: World Bank.